न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 15/24 तारीख रज्जू- 30/09/24

1. नत्थू पुत्र गुर्जरमल जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2. रायसिंह पुत्र गुर्जरमल जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।
3. धर्मसिंह पुत्र गुर्जरमल जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी। —रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 12/11/2024

उपस्थित
1. अधिवक्ता तरूण शर्मा — अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार — रेस्पोडेन्ट पक्ष

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 88/2024 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फराशपुर के आराजी ख0नं0 175 रकबा 0.22 है0 किस्म चाही 3 (मंदिर माफी) पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मिशल के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, बल्कि उक्त भूमि से सटवां अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में ही उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखे बिना तथा बिना सीमाज्ञान के ही एक पक्षीय रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी तथा उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट सीधे सादे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो मंदिर की भूमि पर कब्जा करने की मंशा नहीं रखते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं करवायी गयी है, यदि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुना जाता तो अपीलान्ट अपना पक्ष एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करता। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा रूप से अपीलान्ट को सुने बिना उक्त आदेश पारित किया गया है तथा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2024 के अनुसार

12/11/24

भी उक्त खसरा नम्बर 175 रकबा 0.22 है0 भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पड़ी हुई है , साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2024 के अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर 175 रकबा 0.22 है0 भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पड़ी हुई है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शारित , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी